भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 234
10.08.2026 को उत्तर देने के लिए

नई जीडीपी श्रृंखला और जीएसडीपी गणना करने की कार्य पद्धति

234. श्री प्रवीण चक्रवर्ती:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2011-12 श्रृंखला की तुलना में, फरवरी 2026 में जारी की गई वर्ष 2022-23 के आधार वर्ष वाली राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की नई श्रृंखला में, डाटा स्रोतों तथा अपस्फीति कार्य पद्धतियों में अपनाए गए परिवर्तनों सहित कौन-से मुख्य कार्य पद्धति संबंधी परिवर्तन अपनाए गए हैं;

(ख) क्या राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की गणना के लिए वही पद्धति और आधार वर्ष अपनाएंगे, यदि हां, तो राज्यों को जारी किए गए दिशा-निर्देश तथा निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए आधार वर्ष के अंतर्गत जीएसडीपी के अनुमानों की गणना तथा राष्ट्रीय अनुमानों के साथ उनका सामंजस्य किस प्रकार किया जाएगा तथा राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों को क्या तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री प्रवीण चक्रवर्ती द्वारा "नई जीडीपी श्रंखला और जीएसडीपी गणना करने की कार्य पद्धति" के संबंध में पूछे गए दिनांक 10.08.2026 के राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 234 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने 27 फरवरी 2026 को आधार वर्ष 2022-23 के साथ संशोधित राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला जारी किया है, जिसमें अद्यतन डेटा स्रोतों, कार्यप्रणाली संबंधी सुधार और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) के अनुरूप वैचारिक सुधारों को समाविष्ट किया गया है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके।

कुछ प्रमुख कार्यप्रणालीगत सुधारों में बहु-कार्यकलाप निगमित उद्यमों में बेहतर सुधार, वार्षिक सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके अनिगमित क्षेत्र का बेहतर अनुमान, दोहरी अपस्फीति और वॉल्यूम एक्स्ट्राप्लेशन विधियों का व्यापक अनुप्रयोग शामिल हैं। क्लासीफिकेशन आफ इंडिविजुअल कंजम्पशन टू परपज 2018 (सीओआईसीओपी) को अपनाकर, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के डेटा का व्यापक उपयोग करके और वस्तु प्रवाह विधियों को बेहतर बनाकर निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीफसीई) के अनुमान में सुधार किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति और उपयोग तालिका (एसयूटी) रूपरेखा के माध्यम से वार्षिक अनुमानों का मिलान किया गया, और अनुमानों की व्यापकता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय -21 डेटाबेस (एमसीए-21) जैसे प्रशासनिक डेटा स्रोतों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया।

(ख): जी हाँ। एमओएसपीआई द्वारा मई 2026 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) के अनुरूप कार्यप्रणाली और अवधारणाओं को अपनाते हुए, और जहां भी उपलब्ध हो, राज्य विशिष्ट डेटा स्रोतों का उपयोग करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संशोधित आधार वर्ष 2022-23 का उपयोग करते हुए अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुमानों को संकलित करना आवश्यक है।

मौजूदा पद्धति के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत जीएसडीपी अनुमानों को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च और 1 अगस्त को (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से) एमओएसपीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। संशोधित आधार वर्ष 2022-23 के तहत किए गए कार्यप्रणालीगत परिवर्तनों और संशोधित राष्ट्रीय लेखा अनुमानों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता को देखते हुए, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर संशोधित आधार वर्ष के अनुमानों के प्रकाशन की समय सीमा दिनांक 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है।

(ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस) ने संशोधित आधार वर्ष के तहत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुमानों का संकलन शुरू कर दिया है, जिसमें व्यापक रूप से उन्हीं अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और कार्यप्रणाली रूपरेखा का पालन किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर समरूपता और तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

संशोधित आधार वर्ष 2022-23 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, एमओएसपीआई ने अप्रैल 2026 में *राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लेखों की नई श्रृंखला पर तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यशाला* का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को संशोधित अवधारणाओं, कार्यप्रणालियों, डेटा स्रोतों और अनुमान प्रक्रियाओं पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। एमओएसपीआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वतंत्र रूप से संकलित एसडीपी अनुमानों में अंतर को दूर करने के लिए मई से जून 2026 के दौरान संशोधित आधार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनीय अनुमानों पर वार्षिक संयुक्त चर्चा भी आयोजित की। इसके अतिरिक्त, एमओएसपीआई जीएसडीपी के संकलन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षमता विकास के लिए नियमित रूप से वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित करता है।

*****